भाकृअनुप-केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान
क्षेत्रीय केन्द्र, मोदीपुरम, मेरठ

पत्रांक संख्या- एफ-5-5/नीलामी/2024-25/ 425 दिनांक 13 मई,2024

सेवा में,

CPRI
Website

विषय- जलाऊ लकडी एवं सूखे नीम के तीन पेडों की नीलामी कराने के संबंध में।

महोदय,

केन्द्र के मोदीपुरम एवं मछरी प्रक्षेत्र पर लगभग 100 कुन्टल जलाऊ लकडी एवं मोदीपुरम प्रक्षेत्र पर सूखे नीम के तीन पेड बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। इच्छुक फर्म/व्यक्ति जलाऊ लकडी व पेडों को खरीदने के लिये अपने अधिकतम निविदा रेटस सील बन्द लिफाफे में इस कार्यालय को दिनांक 28-5-2024 को दोपहर 1.00 बजे तक जमा कर सकते हैं। निविदायें उसी दिन दिनांक 28-5-2024 को दोपहर 3.30 बजे तक समिति सदस्यों द्वारा खोली जायेंगी। यदि उक्त तिथि में कोई अवकाश पडता है तो निविदायें अगले कार्य दिवस में उपरोक्त समायानुसार ही स्वीकार एवं खोली जायेंगी।

क्रम संख्या	विवरण	संख्या	धरोहर राशि (रूपये)
1-	जलाऊ लकडी	100 कुन्टल	4000/-
2-	सूखे नीम के पेड	3 नं0	1000/-

नीलामी हेतु नियम एवं शर्तें:-

1- प्रत्येक क्रेता को रूपये 4000/- (रूपये चार हजार मात्र) जलाऊ लकडी तथा रूपये 1000/- (रूपये एक हजार मात्र) सूखे नीम के पेडों की धरोहर राशि का बैंक ड्राफट/NEFT/RTGS/UPI या अन्य ऑनलाईन कार्यालय में जमा कराना होगा तथा संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति कुटेशन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। बैंक ड्राफट CPRIC, Modipuram के नाम भारतीय स्टेट बैंक, पल्हैडा (Code No.3067) पर देय होना चाहिये।

NEFT/RTGS/UPI या अन्य ऑनलाईन बैंकिग माध्यम से जमा कराने हेतु विवरण निम्नवत है। बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा- पल्हैडा, 3067, खाता संख्या-10172900089, आई.एफ.एस.सी. नं0-SBIN0003067

2- जलाऊ लकडी तथा सूखे नीम के पेडों की नीलामी "**जहां है जैसा है**" के आधार पर की जायेगी।

3- वृक्षों का मौका मुआयना/निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9.00 बजे से 5.30 बजे तक संबंधित प्रक्षेत्र पर किया जा सकता है।

4- निविदा लिफाफे पर जलाऊ लकडी एवं पेडों की नीलामी से संबंधित अंकित करना होगा इसके अतिरिक्त अपना/फर्म का नाम, पता फोन नं0 इत्यादि भी लिखना होगा। कटिंग एवं ओवर राईटिंग की स्थिति में हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। निविदा भरने को रिक्त फार्म कार्यालय के भण्डार अनुभाग से प्राप्त किया जा सकता है।

5- जिस व्यक्ति के जलाऊ लकडी एवं सूखे नीम के पेडों के रेटस अधिकतम होंगें उसको पूरा भुगतान कार्यालय आदेश प्राप्त करने के पश्चात तीन दिनों के अन्दर कार्यालय में जमा कराना होगा। पातन आदेश प्राप्त करने के पश्चात सम्पूर्ण जलाऊ लकडी व सूखे नीम के पेडों का भुगतान कैशलेस माध्यम से जैसे-बैंक ड्राफट/ऑनलाईन ट्रांसफर के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। नीलामी प्रकिया के पश्चात क्रेता की दरें स्वीकार करने एवं उन्हें दिये गये आदेश पश्चात पेडों का पूर्ण पैसा जमा करने के पश्चात ही पेडों के पातन एंव लकडी उठाने की अनुमति होगी। परिसर या प्रक्षेत्र पर पेडों का पातन करने के पश्चात क्रेता को कार्य दिवसों में ही माल ले जाने की अनुमति होगी जिसको वह स्वयं अपने वाहन से ले जायेगा।

6- उ0प्र0 वन विभाग द्वारा निर्धारित लकडी ढुलाई का अभिवहन शुल्क अथवा चुंगी टैकस या अन्य किसी टैक्स अदा करने की जिम्मेदारी क्रेता की होगी।

7- वन विभाग, मेरठ द्वारा जिन पेड़ों के पातन की अनुमति दी गई है केवल उन मूल्यांकित वृक्षों का ही पातन करने दिया जायेगा।

8- परिसर या प्रक्षेत्र पर बिजली के तार, पानी के पाईप एवं इमारत आदि की किसी भी प्रकार की क्षति होने की दशा में क्षतिपूर्ति क्रेता द्वारा ही वहन की जायेगी।

9- सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर माल को पूर्ण रूप से उठाना होगा अन्यथा की स्थिति में सफल बोलीदाता द्वारा समय विस्तारित किये जाने का अनुरोध पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है परन्तु क्रेता को इसके लिये 0.5 प्रतिशत of sale value प्रतिदिन के हिसाब से ग्राउण्ड रेन्ट देना होगा। जिसकी कटौती, यदि आवश्यकता होती है तो, सफल बोलीदाता की धरोहर राशि से करने हेतु कार्यालय स्वतंत्र होगा।

10- निविदा की स्वीकृति के समय से वस्तु या माल हर दृष्टि से क्रेता के जौखिम पर रहेगी। बिक्री की पुष्टि होने के बाद विक्रेता सुरक्षित अभिरक्षा, सुरक्षा या संरक्षण के लिये किसी भी तरह का दायित्व नहीं लेगा। माल में प्राकृतिक टूट फुट के कारण परिवर्तन हो सकता है। बोली स्वीकार होने के बाद बेची गई सामग्री के विवरण की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी शिकायत/मुआवजा पर विचार नही किया जायेगा।

11- निविदा दस्तावेजों मे दी गई मात्रा और वास्तविक मात्रा में भिन्नता हो सकती है। यदि माल की वास्तविक मात्रा दस्तावेजों में दी गई अनुमानित मात्रा से 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है तो क्रेता को अवितरित मात्रा की धनराशि वापिस कर दी जायेगी। अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध होने पर विक्रेता को इसे अपने पास रखने या सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दरों पर निस्तारित करने का अधिकार होगा।

12- माल के लोड होने या इसे सफल बोलीदाता या उनके प्रतिनिधि को सुपुर्द करने के बाद विक्रेता की जिम्मेवारी खत्म हो जायेगी। लोडिंग पूरी होने के बाद उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद में विक्रेता कोई पक्ष नहीं होगा।

13- कर नियमों के अनुसार यदि कोई भी कर देय होगा तो इसकी कटौती करने का पूर्ण अधिकार कार्यालय को होगा।

14- किसी एक या सभी कुटेशनों को बिना कारण बताये अध्यक्ष महोदय को रदद् करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15- किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति संज्ञान में आने पर उक्त नीलामी प्रकिया को निरस्त अथवा स्थगित करने का अंतिम निर्णय निदेशक महोदय, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला (हि0प्र0) का होगा जिसे मानने के लिये सभी बाध्य होंगें।

प्रभारी भण्डार

1. वितरण-

    1- ग्राम प्रधान, मछरी, चिरौडी, पबरसा, सुरानी पाबली।
    2- सूचना पटट, मोदीपुरम, पाबली, सी0ब्लॉक, मछरी प्रक्षेत्र।